जिला शिवहर के

लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स बाबा भुवनेश्वरनाथ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (बाबा 2019) जिला शिवहर, द्वारा बागमती नदी के युनिट–3 के अन्तर्गत देकुली धर्मपुर घाट, मौजा देकुली धर्मपुर, अंचल– पिपराही एवं मोहारी घाट मौजा–कुशहर एवं मोहारी, अंचल+जिला–शिवहर, राज्य–बिहार में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 07.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार शिवहर, जिला– शिवहर के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1533 दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या SIA/BR/MIN/431274/2023, दिनांकः 01.07.2023 के आलोक में श्री कृष्ण मोहन सिंह, अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 06.08.2023 को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा अपर समाहर्त्ता महोदय, खनिज विकास पदाधिकारी लोक सुनवाई में उपस्थित महानुभाव एवं पर्यावरण सलाहकार का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुधन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बागमति नदी स्थिति युनिट–3, देकुली धर्मपुर घाट, मौजा–देकुली धर्मपुर, अंचल–पिपराही एवं मोहारी घाट, मौजा–कुशहर एवं मोहरी, अंचल+जिला–शिवहर में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री मनोज कुमार साह को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा बागमति नदी स्थित युनिट–3, देकुली धर्मपुर घाट एवं मोहारी घाट से प्रतिवर्ष 81,293 टन एवं 55,680 घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत 396.55 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के यूनिट–3 में देकुली धर्मपुर घाट एवं मोहारी घाट को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन पट्टा के सीमा के अन्दर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 1 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा। खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
6. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य पेड़ लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पॉच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।

खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निकासी किया जाएगा।

8. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणें के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। नदी से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र किया जाएगा। वहां से बालू (खनिज) से रिसने वाला जल, मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना है। बालू (खनिज) में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन को नियंत्रण करेगा।
9. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
10. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री धनंजय कुमार यादव देकुली धर्मपुर– इनके द्वारा पूछा गया कि रैती जमीन में पड़ने वाला बालू का खनन करने का अधिकार किसका होगा।	खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रैती जमीन में पड़ने वाला बालू पर अधिकार सरकार का है। सरकार द्वारा उपलब्ध बालू का आकलन कराया जाता है। तत्पश्चात् सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही बालू खनन का कार्य किया जायेगा।
2.	श्री तारकेश्वर प्रसाद मोहारी– इनके द्वारा पूछा गया कि सड़क का देख–रेख एवं सड़क के किनारे लगाये गये पेड़ों का विकास करने का जिम्मेवारी किनका होगा।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र से सरकारी सड़क तक पहुँच पथ का देख–रेख, मरम्मति तथा सड़क के दोनों किनारे लगाये गये पेड़ों का विकास करने का जिम्मेवारी संवेदक का होगा।
3.	श्री इन्द्रजीत यादव, देवकुली धर्मपुर– इनके द्वारा पूछा गया कि संवेदक द्वारा रैती जमीन से भी बालू खनन करने का कार्य किया जायेगा अथवा नही। पर्यावरण संरक्षण के लिए बालू खनन एवं परिवहन के दौरान क्या–क्या उपाये किये जायेंगे।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा बालू खनन का कार्य के लिए एक निर्धारित क्षेत्र को आवंटित किया गया है। संवेदक द्वारा इन्हीं क्षेत्रों से बालू खनन का कार्य किया जायेगा। इस क्षेत्र के अलावे रैती जमीन से बालू खनन नहीं होगा। सेवदक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पहुँच पथ पर नियमित रूप से जल छिड़काव, सड़क के दोनो किनारे वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण संबंधित प्राप्त वाहनों से बालू की ढूलाई, वाहन पर निर्धारित मानक के अनुसार बालू का लोडिंग एवं तीरपाल से ढ़ंक कर परिवहन किया जायेगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का भी अनुपालन किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के क्रम में अपर समाहर्ता सह अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित निकासी से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं अनुपालन नहीं होने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को सुदृढ कराया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

14/9/2022

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
मुजफ्फरपुर।

14.9.22

अपर समाहर्त्ता
शिवहर।

उपस्थिति सूची

मेसर्स बाबा भुबनेश्वर नाथ कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 (बाबा 2019), द्वारा बागमती नदी के मौजा– देवकुली धर्मपुर, अंचल–पिपराही, मौजा–कुसहर एवं मोहरी, अंचल–शिवहर, बालू घाट यूनिट नं0–03 (देवकुली धर्मपुर घाट एवं मोहरी घाट, क्षेत्रफल–9.28 हेक्टेयर) जिला–शिवहर में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 07.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखंड सभागार, शिवहर, जिला–शिवहर में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कृष्णा मोहन सिंह	अपर समाहर्त्ता, शिवहर	[illegible] 07.09.23
2.	सम्पूर्णानंद ठाकुर	क्षेत्रीय पदा०, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुज०	[illegible] 07/9/2023
3.	Pramod Kumar	प्रभारी, MDO शिवहर	[illegible] 7/09/23
4.	Shatrughan Prasad	Ocean - Enviro	S. Prasad 07/09/2023
5.	Hritike Kumar Shrivastava	Mining Inspector Sheohar	Hritike 7/9/23
6.	Keshav Raj	Mining Inspector, Sheohar	Keshav Raj 07/09/2023
7.	मनोज कुमार सिंह	[illegible]	[illegible] 07/09/2023
8.	अरविन्द कुमार	मोहरी	अरविन्द कुमार
9.	Meghnath Sah	Mohari	Meghnath [illegible]
10.	सदानंद [illegible]	मोहरी	सदानंद [illegible]

11.	पप्पू कुमार साह	मोहारी	Pappu Kr Sah
12.	नरेन्द्र सिंह	मोहारी	[signature]
13.	इन्द्रजीत यादव	धर्मपुर	[signature] Mukesh
14.	मुकेश यादव	धर्मपुर	
15.	पवन कु० यादव	धर्मपुर	Pavan Kumar
16.	अवधेश राय	धर्मपुर	[signature]
17.	श्याम किशोर रजक	धर्मपुर	S.K.Ray
18.	रजनीश कुमार	धर्मपुर	Rajnish
19.	चंदन कुमार	धर्मपुर	C.K.Y
20.	अनिल कुमार	धर्मपुर	अनिल कुमार
21.	सिकन्दर साह	मोहारी	[signature]
22.	राम जन्म पंडित	मौलागंज	राम जन्म पंडित
23.	मो० अब्बास हजाम	मोहारी	अब्बास
24.	दिलीप कुमार	मोहारी	Dilip Kumar
25.	राजीव कुमार	मोहारी	[signature]

26.	मुकेश दास	मिठारी	मुकेश
27.	सुबोध साह	मोहारी	सुबोध साह
28.	राम प्रवेश साह	मोहारी	राम प्रवेश साह
29.	रमाकान्त साह	मोहारी	रमाकान्त साह
30.	रूपेश कुमार साह	मोहारी	रूपेश साह
31.	मिन्टु कुमार	दे० चम्पुर	मिन्टु कुमार
32.	रमेश कुमार	दे० चम्पुर	रमेश कुमार
33.	उमाशंकर	इटहरी	उमाशंकर
34.	सुरेन्द्र पासवान	मोहारी	सुरेन्द्र पा०
35.	लक्ष्मी कुमार	मोहारी	Laxmi
36.	विनोद साह	मोहारी	विनोद साह
37.	राजीव	मोहारी	राजीव
38.	रत्नेश कुमार	मोहारी	रत्नेश कुमार
39.	Madhumesh Kumar	Ranjani Bay	Madhumeshkumar
40.	महेश साह	मोहारी	महेश साह

41.	संतोष साह	मोहारी	संतोष साह
42.	प्रकाश कुमार	मोहारी	प्रकाश कुमा
43.	कुशा नन्दन	मोहनजी	कुशा नन्द
44.	Mitesh kum	मोहारी	Mitesh kuma
45.	Abhi	मोहारी	Abhi Ku
46.	नेपाल राय	मोहार	नेपाल राय
47.	—	× [signature] 2/9/2023	—
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			